हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) – 491001
Email: academic@durguniversity.ac.in, Website: www.durguniversity.ac.in, Phone - 0788-2359400

क्र./224/ अका./शोध/2019 दुर्ग, दिनांक 12/04/2019

सूचना

विश्वविद्यालय के अध्यादेश कमांक–45 की कंडिका 9 अनुसार ऐसे शोध निर्देशक जिन्हे विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में संबंधित विषय में शोध उपाधि/अध्यापन अनुभव एवं विश्वविद्यालय अध्यादेश–45 अनुसार शोध निर्देशक मान्य किया गया है । किन्तु विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में उनकी नियुक्ति यदि अन्य विषय हेतु की गई है वे शोध निर्देशक के रूप में मान्य नही किया जायेगा । केवल संबंद्ध विश्वविद्यालय/संस्थान के एक पूर्णकालिक नियमित शिक्षक ही विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शोध निर्देशक के रूप में कार्य करने हेतु मान्य है ।

पी–एच.डी. से संबंधित अध्यादेश–45 और समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेशों/नियमों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित शोध केन्द्र/शोध निर्देश स्वयं जिम्मेदार होगा ।

अतः विश्वविद्यालय से संबंद्ध महाविद्यालयों/शोध केन्द्रों में यदि उपरोक्तनुसार ऐसे शोध निर्देशक है तो उनकी सूची शोध केन्द्र प्रमुख द्वारा दिनांक 17/04/2019 तक अनिवार्य रूप से अकादमिक विभाग के पी–एच.डी. सेल में प्रस्तुत करना सुनिश्चत करे ।

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ. क. 225/अका./शोध/2019 दुर्ग, दिनांक 12/04/2019

प्रतिलिपि :–

1. संबंधित शोध केन्द्र एवं शोध निर्देशक को सूचनार्थ ।
2. उप कुलसचिव गोपनीय/परीक्षा, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
4. कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) ।
5. वि.वि. वेबसाईट प्रभारी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने सूचनार्थ ।

सहायक कुलसचिव (अका.)
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)